भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2821

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

कोयला खानों के समीप रहने वाले लोगों की समस्याएं

2821. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री शान्तनु ठाकुरः
श्रीमती गीताबेन वी॰ राठवाः
श्री निशीथ प्रामाणिकः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खानों के समीप रहने वाले लोगों को खनन के समय होने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कोयला खानों के आस–पास रहने वाले लोगों को वायु प्रदूषण, जल स्तर में गिरावट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कई बार भू–स्खलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार स्थानीय नागरिकों को सहायता प्रदान कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी हां।

(ख) : कोयला खनन प्रचालनों का भू-उपयोग पैटर्न में परिवर्तन, धूल, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के रुप में पर्यावरण पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव होता है। तथापि, खनन प्रचालन शुरु करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) को अनुमोदित कराना आवश्यक है।

ईएमपी तैयार करने के लिए पूर्व एवं पश्चात्वर्ती खनन प्रचालनों पर विचार करते हुए एक विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाता है और पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी जाती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ईसी प्रदान करते समय ईएमपी के कार्यान्वयन हेतु कुछ शर्तें/शमन उपाय निर्धारित करता है जिनका खनन के दौरान परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अनुपालन किया जाना होता है।

(ग) और (घ) : अनुमोदित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) के अनुसार विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। सामान्यतः ईआईए/ईएमपी के आधार पर निम्नलिखित निर्धारित एक अथवा सम्मिलित उपाय किए जा रहे हैं।

वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायः

- सीएचपी, कोल स्टॉक याईस, वे-ब्रिजेज और परिवहन वाले सड़कों पर फिक्स्ड स्प्रिंक्लर्स लगाकर धूल को नियंत्रित किया जाता है।
- प्रमुख कोयला हैंडलिंग संयंत्रों में कन्वेयर बेल्ट्स/बंकर्स के साथ-साथ मिस्ट टाइप वाटर स्प्रेइंग सिस्टम की भी स्थापना की गई है। स्रोत पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सीएचपी की साइड्स को जीआई शीट वाली साइड क्लैडिंग से भी कवर किया जाता है।
- कोयला परिवहन सड़कों और ढलान वाली सड़कों पर मोबाइल पानी के टैंकरों द्वारा पानी का छिड़काव करके पानी के माध्यम से प्रभावी धूल दमन।
- धूल की उत्पत्ति को नियंत्रित करने के लिए वेट ड्रिलिंग और डस्ट एक्सट्रैक्टर्स से युक्त ड्रिल्स का उपयोग।
- ट्रकों को ढककर, ढलान वाली सड़कों को सुधारकर, सड़कों की सूखी सफाई करके और पानी का छिड़काव करके सड़क पर ट्रकों से कोयले का छलकाव को नियंत्रित किया जा रहा है।
- जहां तक संभव हो, सड़क परिवहन को कम करके धूल की उत्पत्ति को कम करने के लिए कन्वेयर/रेल/ट्यूब कन्वेयर द्वारा कोयले का परिवहन किया जा रहा है।
- पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 के अनुसार खान में और उसके आसपास परिवेशी वायु की गुणवत्ता की हर पखवाड़े निगरानी की जाती है।

जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय:

- पानी निकालने के लिए खान के चारों ओर गारलैंड नालियां उपलब्ध कराई जाती हैं और गाद के संग्रह के लिए गाद के तालाब बनाए जाते हैं।
- प्राकृतिक जलमार्ग में छोड़ने से पहले खानों से निकलने वाले निस्रावों का शोधन किया जाता है।
- कार्यशाला निस्रावों से तेल और ग्रीस को अलग करने के लिए कार्यशाला में तेल और ग्रीस ट्रैप्स लगाए और संचालित किए जाते हैं।

• कार्यशाला निस्राव और सीएचपी निस्राव के उपचार के लिए निस्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) कुशलतापूर्वक स्थापित और संचालित किए जाते हैं।

• बड़े घरेलू सीवेज के उपचार के लिए सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित और संचालित किया जाता है।

• अंतिम निस्राव की गुणवत्ता की निगरानी, इसे प्राकृतिक नालियों या खुली भूमी में छोड़ने से पूर्व, प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार की जाती है।

• भूजल रीचार्ज और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संसाधन के संरक्षण की दिशा में कार्रवाई की जाती है।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय:

• उपकरण/एचईएमएम का आवधिक और शर्त आधारित रखरखाव।

• खान के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीन बेल्ट प्रदान की गई;

• ओपनकास्ट खानों में नियंत्रित ब्लास्टिंग

• सर्फेस माइनर की ब्लास्टिंग मुक्त प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।

• अत्यधिक ध्वनि वाले क्षेत्रों में श्रमिकों को मफ या कान के प्लग प्रदान किए गए;

वृक्षारोपण:

• मृदा क्षय को कम करने के लिए ओबी डंप पर वृक्षारोपण किया जाता है;

• वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु प्रदूषण के स्रोतों जैसे कि खान, अवसंरचना और सड़कों के आसपास वृक्षारोपण किया जाता है;

• ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए खान के साथ-साथ आवासीय कॉलोनी के चारों ओर ग्रीन बेल्ट उपलब्ध कराई गई है।

मॉनिटरिंग

पर्यावरणीय शमन उपायों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, कोयला कंपनियों ने सभी ओपनकास्ट परियोजनाओं के लिए भूमि पुनरुद्धार की मॉनिटरिंग हेतु अत्याधुनिक उपग्रह निगरानी की शुरुआत की है। उपग्रह निगरानी के द्वारा भूमि के पुनरुद्धार और पुनर्वास कार्यों की निगरानी की जा रही है।

(ड़) और (च) : एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 ने डीएमएफ (जिला खनिज निधि), जो रॉयल्टी के 30% की दर से जमा की जाती है, की अवधारणा शुरु की। राज्य द्वारा इस निधि का उपयोग आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय के विकास के लिए किया जाता है। डीएमएफ ने बेहतर पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखरेख तक पहुंच के साथ स्थानीय समुदायों में बदलाव लाने में मदद की है।

कोयला कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सीएसआर क्रियाकलाप जैसे कि स्वास्थ्य देखरेख, पानी की आपूर्ति, शिक्षा आदि, करती है। इन क्रियाकलापों के मुख्य लाभार्थी खनन क्षेत्रों और इसके आसपास रहने वाले लोग हैं। इन क्रियाकलापों से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने और उन्हें आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलती है।

****